

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
नियम अनुभाग

प.6(5)वित्त/नियम/2009 पार्ट-I

जयपुर, दिनांक : 18 NOV 2019

परिपत्र


विषय: राज्य कर्मचारियों को देय एडहॉक बोनस के संबंध में प्रोबेशनर ट्रेनी बाबत स्पष्टीकरण।

राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये तदर्थ बोनस दिये जाने बाबत आदेश क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2009 दिनांक 18-8-2019 जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के बिन्दु (g) में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :

(g) Employees appointed as probationer trainee shall not be eligible for ad-hoc bonus.

पूर्व सेवा में प्राप्त नियमित वेतनमान का विकल्प प्रोबेशनर ट्रेनी की अवधि के दौरान दिये जाने के फलस्वरूप तदर्थ बोनस दिये जाने के संदर्भ में वित्त (नियम) विभाग में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा / परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

जो प्रोबेशनर ट्रेनी पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त हैं, उन्हें केवल पूर्व पद का वेतन प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में लिये जाने का विकल्प दिया गया है। राजकीय सेवा में पूर्व से नियुक्त कर्मचारी की भी सीधी भर्ती से नये पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि ही मानी जाती है। अतः नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी को प्रशिक्षण अवधि (प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि) में तदर्थ बोनस देय नहीं होने के दृष्टिगत राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी जिन्हें पूर्व पद का वेतन लिये जाने का विकल्प दिया है, को प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर भी तदर्थ बोनस देय नहीं है।




(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त विभागाध्यक्ष
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
8. समस्त कोषाधिकारी
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)


प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर



(सुरेश कुमार वर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

(RSR 16 /2019)

	<p>RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED [Corporate Identity Number (CIN) : L40109RJ2000SGC016485] Regd. Office: VidyutBhawan, Jyoti Nagar, Jaipur -302005 (AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY)</p>
---	--

RVPN F&R No.: **1306**

No.: RVPN/AAO/F&R/F. 30(Pt. III)/D. **156** JAIPUR,

Dated: **04-12-2019**

Copy to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
2. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.
3. The Chief Engineer (PP&D/IT/Procurement/MPT&S/NPP&RA/LD/Contracts/Civil), RVPN, Jaipur.
4. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
5. The Additional Chief Engineer (Civil), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The Company Secretary, RVPN, Jaipur

7. The Chief Personnel Officer, RVPN, Jaipur
8. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
9. The Chief Accounts Officer (A/Cs & W&M/P&C/PP&D/P&F-Cont./EA-Cash), RVPN, Jaipur.
10. The RCAO, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur Zone, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
11. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur.
12. The Joint Director Personnel, RVPN, Jaipur.
13. The Superintending Engineer ( ), RVPN, Jaipur.
14. The Incharge, Data Centre, RVPN, Chambal GSS, Hawa Sarak, Jaipur.
15. The Dy. Controller of Accounts (P&F), RVPN, Jaipur.
16. The Sr. Accounts Officer ( ), RVPN, Jaipur.
17. The Accounts Officer ( ), RVPN, Jaipur.
18. The PRO, RVPN, Jaipur.
19. PS to CMD, RVPN, Jaipur.
20. PS to Director (Finance/Technical/Operations), RVPN, Jaipur.
21. Office Order/Master File.

By Order,

  
(Sourabh Bhatt)

Chief Accounts Officer (P&F)

**Note:** Orders are also available on the Nigam's website [www.rvpn.co.in](http://www.rvpn.co.in)